न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : मोहनसिंह , RAS.

पत्रावली संख्या : 53/17 **(वाद)**

1. श्री वगता पिता श्री परथा डांगी निवासी जूनावास तह.मावली जिला उदयपुर।
2. श्री अमरा पिता श्री परथ डांगी फौत के बजाय

2/1. श्रीमती टमूबाई पत्नी स्व. अमरा डांगी निवासी जूनावास तह.मावली।

2/2. श्री गणेश पिता स्व. अमरा डांगी निवासी जूनावास तह.मावली।

2/3. श्री रामलाल पिता स्व. अमरा डांगी निवासी जूनावास तह.मावली।

2/4. श्रीमती चुन्नीबाई पुत्री स्व. अमरा डांगी पत्नी जगा डांगी निवासी नान्दवेल तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।

..........वादीगण

बनाम्

1. श्री पोखर पिता श्री नवला डांगी निवासी जूनावास तह.मावली जिला उदयपुर **मृतक**
2. श्री दला पिता नवला डांगी निवासी जूनावास तह.मावली जिला उदयपुर।
3. श्री दूदा पिता नवला डांगी निवासी जूनावास तह.मावली जिला उदयपुर।
4. श्री रामलाल पिता अमरा डांगी निवासी जूनावास तह.मावली जिला उदयपुर।
5. श्री गणेश पिता अमरा डांगी निवासी जूनावास तह.मावली जिला उदयपुर।

.............प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री पन्नालाल मारू, अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट.

निर्णय

दिनांक : 12.03.19

1. वाद वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा जूनावास, पटवार क्षैत्र खेमली , तहसील मावली, की हस्ब जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 की आ.न. 3231, 3233, 3233, 3239, 3241 किता 5 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्र.स. 1,2,3 के नाम 3/4 हिस्सा तथा प्र.स. 4 के नाम 1/8 व प्र.स. 5 के नाम 1/8 हिस्सा अंकित है। आ.न. 3229, 3237, 3238, 3240 किता 4 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा भूमि वादी सं. 1,2 के नाम हिस्सा बराबर से अंकित है। आ.न. 3230, 3234, 3235, 3236, 3242,3243 किता 6 रकबा 8 बीघा 1 विस्वा भूमि वादी सं. 1, 2 के नाम 1/2 हिस्सा बराबर एवं प्र.स. 1, 2, 3 के नाम 3/8 हिस्सा बराबर एवं प्र.स. 4 के नाम 1/16 हिस्सा एवं प्र.स. 5 के नाम 1/16 हिस्सा दर्ज है।

2. वर्णित भूमि आराजीयात के साबिक (गत) सेटलमेन्ट नम्बर निम्नानुसार हैः–

वर्तमान आ.न.	रकबा	साबिक नं.
3231	4 बिस्वा	1861
3233	4 बिस्वा	1861 मी.
3233	2 बीघा 15 बिस्वा	1859–1860–1861मी.
3239	3 बीघा 8 बिस्वा	1847
3241	3 बीघा 7 बिस्वा	1866–1862–1865
3229	1 बीघा 5 बिस्वा	1864
3237	2 बीघा 1 बिस्वा	1853–1854
3238	1 बीघा 18 बिस्वा	1852
3240	3 बीघा 10 बिस्वा	1867
3230	0 बीघा 4 बिस्वा	1863
3234	1 बीघा 2 बिस्वा	1855–1857–1858
3235	2 बीघा 10 बिस्वा	1856
3236	2 बीघा 05 बिस्वा	1856मी.
3242	10 बिस्वा	1865मी.
3243	1 बीघा 10 बिस्वा	1865मी.

3. वादी प्रतिवादी सं. 1 से 3 का सजरा निम्नानुसार हैः–

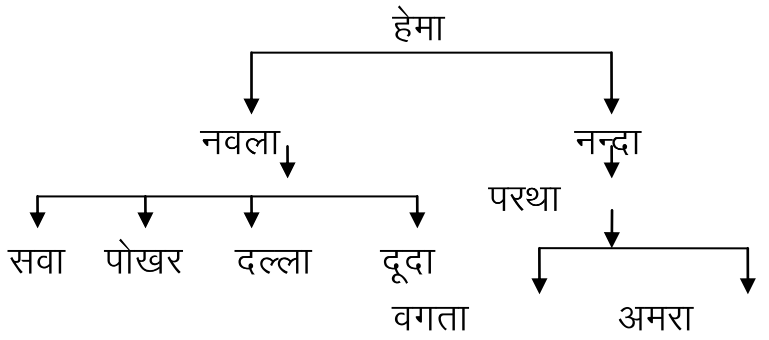

4. उपरौक्त सजरे के अनुसार मूल पुरूष हेमा के दो पु नवला एवं नन्दा हुए। नवला के चार पुत्र सवा, पोखर, दल्ला व दूदा तथा नन्दा के एक पुत्र परथा एवं परथा के दो पुत्र वगता एवं अमरा हुए। उपरोक्त सजरे मं से हेमा, नवला, नन्दा तथा परथा की मृत्यु हो चुकी है। सवा ने उसके हिस्से की भूमि को विक्रय कर दिया है, जिससे उसे पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। वर्णित आराजीयात पैतृक सम्पति है जो मूल पुरूष हेमा जी के समय से चली आ रही है।
5. वर्णित साबिक आराजी नम्बरों के खाते निम्नानुसार है नन्दा वल्द हेमा डांगी आ. न. 1852, 1853, 1854, 1864, 1867 किता 5 रकबा 5 बीघा 17 विस्वा, नवला वल्द हेमा डांगी आ. न. 1847, 1855, 1860, 1861, 1862, 1866 किता 6 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा, नन्दा, नवला वल्द हेमा डांगी आ.न. 1856, 1857, 1858,1859, 1863,

1865 किता 6 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा भूमि तीनों खातों की आराजीयात का योग 20 बीघा 6 विस्वा का नया रकबा 26 बीघा 13 बिस्वा बना जो वाद में अंकित आराजीयात का योग है।

6. वाद में वर्णित परिशिष्ठ क में अंकित आराजीयात में प्रवितादी सं. 1 से 5 के नाम 9 बीघा 18 बिस्वा भूमि तथा परिशिष्ठ ग की आराजीयात में 1/2 हिस्सा के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 से 5 के पक्ष में 4 बीघा 1/2 बिस्वा भूमि कुलिया 13 बीघा 18 1/2 भूमि राजस्व रेकर्ड में अंकित है। जबकि प्र.स. 1 से 5 के पक्ष में 13 बीघा 6 1/2 भूमि ही अंकित होनी चाहिए थी किन्तु सेहवन से 12 बिस्वा भूमि ज्यादा दर्ज हो गई है। जबकि इसके विपरीत परिशिष्ठ ख की आराजीयात में वादी सं. 1,2 के नाम 8 बीघा 14 बिस्वा तथा परिशिष्ठ ग की आराजीयात में 1/2 हिस्सा के अनुसार वादी सं. 1,2 के पक्ष में 4 बीघा 1/2 बिस्वा भूमि कुलिया 12 बीघा 14 1/2 भूमि ही राजस्व रेकर्ड में अंकित है। जबकि वादी सं. 1,2 के पक्ष में 13 बीघा 6 1/2 भूमि अंकित होनी चाहिए थी किन्तु सेहवन से 12 बिस्वा भूमि कम दर्ज हो गई है। चूंकि आराजी न. 3242 रकबा 10 बिस्वा सम्पूर्ण पर तथा आराजी न. 3243 की 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर वादीगण का ही स्वतन्त्र आधिपत्य है, जिससे आराजी न. 3242 रकबा 10 बिस्वा तथा आराजी न. 3243 की 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि को वादीगण के नाम हिस्सा बराबर से स्वतन्त्र रूप से घोषित किया जाना आवश्यक है।

7. सजरे में नवला के पुत्र सवा ने उसके हिस्से की आराजीयात को शमशाद बानू एवं जन्नत बैगम को विक्रय कर दिया तथा शमशाद बानू एवं जन्नत बैगम ने पुनः उनके नाम अंकित आराजीयात को प्रतिवादी सं. 4 एवं 5 को विक्रय कर दिया जिससे नवला क पुत्र सवा के स्थान पर प्रतिवादी सं. 4,5 को पक्षकार बनाया गया है। गत पैमाईश में हुई भूल से वादीगण के नाम 12 बिस्वा भूमि कम अंकित हो जाने से वादीगण इस 12 बिस्वा भूमि को हिस्सा बराबर से अपने पक्ष में घोषित करा कर राजस्व अभिलेखों में अंकित कराने के अधिकारी है।

8. उक्त 12 बिस्वा भूमि वादीगण के नाम कम अंकित होने से वादीगण के जायज हको पर कुठाराघात हो रहा है, जिससे वादीगण द्वारा कई बार प्रतिवादीगण को उक्त 12 बिस्वा भूमि वादीगण के नाम दर्ज कराने बाबत् कहा गया किन्तु प्रतिवादीगण ने कोई ध्यान नहीं दिया और अन्त में दिनांक 15.10.2011 को मना कर दिया एवं धमकी दी कि वे उनके नाम अंकित समस्त भूमि को अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरित कर देंगे, जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा एवं निषेधाज्ञा बाबत् वाद कारण पैदा हुआ।

9. अतः निवेदन है कि वाद में अंकित परिशिष्ठ ग में अंकित आराजी न. 3242 रकबा 10 बिस्वा सम्पूर्ण तथा आराजी न. 3243 के 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड मे वादीगण के नाम अंकित कराया जावें। तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित कराई जावे कि वे वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात को किसी भी अन्य

व्यक्ति को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित नहीं करे तथा राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथावत स्थिति रखे।

10. वादी द्वारा वाद पत्र के साथ दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 2067–70 प्रदर्श 1, 2, 3 एवं सेटलमेन्ट जमाबन्दी प्रदर्श 4,5 की पेश की गई है।

11. प्रकरण पूर्व में न्यायालय में प्रकरण सं. 323/11 होकर निर्णय दिनांक 24.11.2014 को अस्वीकार कर खारिज किया गया। जिसकी अपील वादी द्वारा राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के यहां प्रकरण सं. 3/15 दर्ज कराई गई जो निर्णय दिनांक 14.012.2016 से न्यायालय हाजा का निर्णय अपास्त कर रिमाण्ड की गई जिसकी पालना में पुनः प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 से 5 नियत पेशी दिनांक को न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुऐ है जिसके कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये है । प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ करवाई गई।

12. प्रकरण में प्रथक से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पूर्व में प्रस्तुत साक्ष्य वादी पी.डब्ल्यू–1 श्री वगता पिता परथा डांगी, पी.डब्ल्यू–2 श्री धर्मेन्द्र पिता कूका डांगी निवासी राणावतों का गुडा, का शपथ पत्र को ही माना जाने का निवेदन किया।

13. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी जाकर बहस समायत की गई । हमनें प्रकरण के तथ्यों पर मनन् किया एवम दस्तावेज नकल जमाबन्दी सम्वत 2067–70, सेटलमेन्ट जमाबन्दी का अवलोकन किया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। मूल पुरूष हेमा के दो पुत्र नवला एवं नन्दा हुए। नवला के चार पुत्र सवा, पोखर, दल्ला व दूदा तथा नन्दा के एक पुत्र परथा एवं परथा के दो पुत्र वगता एवं अमरा हुए। उपरोक्त सजरे में से हेमा, नवला, नन्दा तथा परथा की मृत्यु हो चुकी है। सवा ने उसके हिस्से की भूमि को विक्रय कर दिया है। वर्णित आराजीयात पैतृक सम्पति होकर मूल पुरूष हेमा जी के समय से चली आना बताया है। वर्णित साबिक आराजी नम्बरों के खाते निम्नानुसार है नन्दा वल्द हेमा डांगी आ. न. 1852, 1853, 1854, 1864, 1867 किता 5 रकबा 5 बीघा 17 विस्वा, नवला वल्द हेमा डांगी आ. न. 1847, 1855, 1860, 1861, 1862, 1866 किता 6 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा, नन्दा, नवला वल्द हेमा डांगी आ.न. 1856, 1857, 1858,1859, 1863, 1865 किता 6 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा भूमि तीनों खातों की आराजीयात का योग 20 बीघा 6 विस्वा का नया रकबा 26 बीघा 13 बिस्वा बना जो वाद में अंकित आराजीयात का योग होना बताया है। वादी द्वारा भूमि पैतृक भूमि होने से नवला व परथा के 1/2–1/2 भूमि होने की बात कही है। परिशिष्ट ग में वर्णित आराजीयात में 1/2 हिस्सा अनुसार वादी सख्या 1 व 2 के पक्ष में 4 बीघा 1/2 बिस्वा भूमि कुलिया 12 बीघा 14 1/2 भूमि ही अभिलेख में अंकित हुई है जबकि वादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में 13 बीघा 6 1/2 भूमि अंकित होनी चाहिए

थी किन्तु सेहवन से 12 बिस्वा भूमि कम दर्ज हो गई है। जिसका माननीय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा भी अपने निर्णय में सारणीअनुसार भूमि के कम ज्यादा हुए रकबे का विवरण भी दिया गया है। इसी अनुसार आराजी नम्बर 3242 रकबा 10 बिस्वा पर वर्तमान में वादीगण का ही कब्जा चला आ रहा है। चूंकि भूमि कम दर्ज हुई है अतः हिस्से एवं कब्जे अनुसार वादीगण भूमि अपने नाम पर दर्ज कराने के अधिकारी है। वादीगण द्वारा आराजी नम्बर 3243 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा के सम्पूर्ण भूमि पर भी अपना कब्जा बताते हुए अपने नाम घोषणा की दाद चाही गई है जबकि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी घोषणा दिये जाने का कोई प्रावधान नही रहा है। अतः वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा जुनावास पटवार हल्का खेमली की आ.न. 3242 रकबा 10 बिस्वा भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया ।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास मोहन सिंह, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री वगता पिता श्री परथा डांगी निवासी जूनावास तह.मावली जिला उदयपुर।
2. श्री अमरा पिता श्री परथ डांगी फौत के बजाय

2/1. श्रीमती टमूबाई पत्नी स्व. अमरा डांगी निवासी जूनावास तह.मावली।
2/2. श्री गणेश पिता स्व. अमरा डांगी निवासी जूनावास तह.मावली।
2/3. श्री रामलाल पिता स्व. अमरा डांगी निवासी जूनावास तह.मावली।
2/4. श्रीमती चुन्नीबाई पुत्री स्व. अमरा डांगी पत्नी जगा डांगी निवासी नान्दवेल तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।

..........वादीगण

बनाम्

1. श्री पोखर पिता श्री नवला डांगी निवासी जूनावास तह.मावली जिला उदयपुर **मृतक**
2. श्री दला पिता नवला डांगी निवासी जूनावास तह.मावली जिला उदयपुर।
3. श्री दूदा पिता नवला डांगी निवासी जूनावास तह.मावली जिला उदयपुर।
4. श्री रामलाल पिता अमरा डांगी निवासी जूनावास तह.मावली जिला उदयपुर।
5. श्री गणेश पिता अमरा डांगी निवासी जूनावास तह.मावली जिला उदयपुर।

............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 53/17 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मोहन सिंह R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा जुनावास पटवार हल्का खेमली की आ.न. 3242 रकबा 10 बिस्वा भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 12.03.2019 को जारी की गई।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली